

ग्रामीण निर्माण विभाग,
सेवा का अधिकार ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Fax No. 2780290

PH. No. 2781556, 2780290

Website- www.res.uk.gov.in

पत्रांक 454 / ग्रा0नि0वि0/सेवा का अधिकार/2021-22

दिनांक 14 जून-2021

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्रदत्त की जा रही सेवाओं हेतु आवश्यक विषयक बिन्दुओं को पदामिहित अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग देहरादून के पत्र संख्या-1231/18-15 (01)/2015 दिनांक 18.9.2018 के साथ संलग्नक प्रारूप-01 (सूचना पट का प्रारूप) जिसमें पदामिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिये अधिकृत व्यक्ति का नाम उल्लिखित किया गया है।

अतः प्रकरण पर आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय में स्थापित सूचना पट में पदामिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिये श्रीमति इन्देश डंगवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून को अधिकृत किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत ग्रामीण निर्माण विभाग में सेवा के अधिकार में सेवार्यें प्रदान करने हेतु चयनित नाम।

क्र० सं०	सेवार्यें	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	सेवा का अधिकार	अधिशाली मुख्यालय	अधीक्षण अभियन्ता (मै०)

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

14/6/21

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधीक्षण अभियन्ता (मै०), कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अधिशाली अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

14/6/21

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित में ग्रामीण निर्माण
विभाग से सम्बन्धित सूचना

क्र० सं०	सेवा का विवरण	शासनादेशों/नियम
1	2	3
1	ठेकेदारों के पंजीकरण - श्रेणी 'A'	उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-2365/एम०-5 /23 एम०एन०-7-41 एम०एस०ए०/1954 दिनांक 24.9.1982 सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या- 2504/लो०नि०-1/03-75 (सा०) 2000 दिनांक 25.11.2003, शासनादेश संख्या- 2611/111 (2)/07-75 (सामान्य)/2000, दिनांक 26.10.2007 एवं शासनादेश संख्या- 2196/ग्रा०नि०वि०/लेखा-दो-निविदा/2018-19 दिनांक 25.10.2018 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	ठेकेदारों के पंजीकरण - श्रेणी 'B'	-----तदैव-----
3	ठेकेदारों के पंजीकरण - श्रेणी 'C'	-----तदैव-----
4	ठेकेदारों के पंजीकरण - श्रेणी 'D'	-----तदैव-----
5	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी)	उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०अ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के आदेश संख्या- 129/XXVII (7) 32/2007 दिनांक 14.7.2017 एवं शासनादेश संख्या- 120/III(2)-2014/20 (सामान्य)/2011 दिनांक 8.1.2014 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
6	आपूर्ति निविदाओं के मामले में प्रतिभूति निक्षेप (एस०डी०) राशि का प्रतिदाय	-----तदैव-----
7	ठेकेदारों के अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	शासनादेश संख्या- 2153/ III(2)/19-75 (सामान्य)/2000 दिनांक 03.06.2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
8	ठेकेदारों के अनुभव प्रमाणपत्र का सत्यापन	-----तदैव-----
9	मोटर मार्ग पर ट्रेफिक को बाधित करने वाली निर्माण सामग्री को हटवाना	उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या- 112/XXXVI (3)/2014/18 (1)/2014 देहरादून 12 मार्च 2014 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

विभिन्न सेवाओं हेतु समय सीमा

क्र० सं०	सेवा का नाम	सम्बन्धित कार्यालय	जांच अधिकारी	निस्तारण हेतु समय सीमा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1- ठेकेदार का पंजीकरण					
1	क्लास A	विभागाध्यक्ष	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03 माह	अपूर्ण आवेदनों को 07 दिनों में लौटाया जाना होगा।
2	क्लास B	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढवाल मण्डल/ मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमायूँ मण्डल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03 माह	
3	क्लास C	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	03 माह	
4	क्लास D	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता	सम्बन्धित प्रशासनिक / वरिष्ठ प्रशासनिक	03 माह	
5	आर०टी०आई० के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना	मुख्य अभियन्ता कार्यालय / वृत्तीय कार्यालय / खण्डीय कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी सम्बन्धित कार्यालय	30 दिन	

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में समयबद्ध सेवायें प्रदान करने हेतु चयनित सेवाएं

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी)	अधिशासी अभियन्ता	निविदा की वैधता समाप्ति के 30 दिनों के भीतर	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढवाल मण्डल हेतु / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमायूँ मण्डल हेतु
2	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में प्रतिपूर्ति निक्षेप (एस०डी०) राशि का प्रतिदाय	अधिशासी अभियन्ता	निविदा की वैधता समाप्ति के 30 दिनों के भीतर	अधीक्षण अभियन्ता	
3	ठेकेदारों को अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	अधिशासी अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	
4	ठेकेदारों के अनुभाव प्रमाण पत्र का सत्यापन	अधिशासी अभियन्ता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	

❖ शिकायत निवारण तंत्र

किसी भी नागरिक के पास विभागीय शिकायत निवारण तंत्र तक निम्न प्रकार से पहुँच होती है।

- 1- यदि शिकायत, क्षेत्र के सम्बन्धित खण्ड/उप-खण्ड से सम्बन्धित है, तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ई-मेल/टेलीफोन के माध्यम से सम्पर्क किया जाना चाहिए।
- 2- यदि शिकायत वृत्तीय स्तर से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से सम्पर्क किया जाना चाहिए।
- 3- यदि नागरिक की शिकायत का समाधान नहीं हुआ है तो उसके लिये सम्बन्धित उच्चधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र० सं०	अधिकारी	पता	टेलीफोन नं०	ई-मेल आई०डी०
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढवाल से सम्बन्धित	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0135-2780290 0135-2781556	hod.res.uk@gmail.com
2	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमायूँ से सम्बन्धित	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, स्थित (भीमताल), नैनीताल	05942-297010	cerwdkumaon@gmail.com